मध्य प्रदेश शासन

वित्त विभाग

(आर्थिक नीति एवं विश्लेषण इकाई)

मंत्रालय

//अधिसूचना//

भोपाल, दिनांक 04 /10/2017

क्रमांक 256/25/2017/आनीविइ/चार - भारत के संविधान के अनुच्छेद 243-झ तथा अनुच्छेद 243-म के साथ पठित मध्यप्रदेश राज्य वित्त आयोग अधिनियम, 1994 (क्रमांक 3 सन् 1994) की धारा 3 के अनुसरण में, तथा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 66-25/2017-आनीविइ-चार दिनांक 20-03-2017 की निरंतरता में मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, पांचवें राज्य वित्त आयोग के विचारण हेतु निम्नलिखित कार्य अवधारित करते हैं, अर्थात् :-

सौंपे जाने वाले कार्य

आयोग, पंचायतों तथा नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करेगा और जो, -

(क) (एक) राज्य द्वारा उद्गृहीत करों, शुल्कों, पथकरों और फीसों के ऐसे शुध्द आगमों के राज्य और पंचायतों तथा नगरपालिकाओं के बीच, जो भारत के संविधान के भाग 9 तथा 9-क के अधीन उनमें विभाजित किए जाएं, वितरण को और सभी स्तरों पर पंचायतों तथा नगरपालिकाओं के बीच ऐसे आगमों के तत्संबंधी भाग के आवंटन को ;

(दो) ऐसे करों, शुल्कों, पथकरों और फीसों के अवधारण को, जो पंचायतों तथा नगरपालिकाओं को समनुदिष्ट की जा सकेगी, या उनके दवारा विनियोजित की जा सकेगी;

(तीन) राज्य की संचित निधि में से पंचायतों तथा नगरपालिकाओं के लिए सहायता अनुदान को शासित करने वाले सिध्दांतों के बारे में;

(ख) पंचायतों तथा नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए आवश्यक अध्युपायों के बारें में ;

राज्यपाल को अनुशंसा करेगा।

(2) पंचायतों तथा नगरपालिकाओं के सुदृढ वित्त के हित में, आयोग अपनी अनुशंसाएं करते समय निम्नलिखित अन्य विषयों पर विचार करेगा :-

(एक) भूमि पर देय करों एवं भूमि में संव्यवहारों की लिखतों पर देय स्टाप शुल्क से राजस्व के शुध्द आगमों के स्थानीय नगरीय निकायों तथा ग्राम पंचायतों को न्यागमन ;

(दो) पेट्रोलियम उत्पादों के विक्रय पर कर से राजस्व के शुध्द आगमों के स्थानीय नगरीय निकायों तथा ग्राम पंचायतों को न्यागमन;

(तीन) माल और सेवा कर से राजस्व के शुद्ध आगमों के स्थानीय नगरीय निकायों तथा ग्राम पंचायतों को न्यागमन;

(चार) राज्यपाल द्वारा राज्य वित्त आयोग को निर्दिष्ट किये गये किसी अन्य विषय में।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(अनिरूद्ध मुकर्जी)
प्रमुख सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

पृ0 क्रमांक 257 /25/2017/आनीविइ/चार, भोपाल, दिनांक 04 /10/2017 भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस अधिसूचना का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(अनिरूद्ध मुकर्जी)
प्रमुख सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

क्रमांक 258/25/2017/आनीविइ/चार, भोपाल, दिनांक 05 / 10 /2017

प्रतिलिपि :-

1. राज्यपाल, मध्यप्रदेश के सचिव, राज भवन, भोपाल।
2. रजिस्ट्रार उच्च न्यायालय, म0 प्र0 जबलपुर ।
3. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा, भोपाल ।
4. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्रीजी, म0प्र0 मंत्रालय, भोपाल ।
5. स्टाफ आफिसर, माननीय वित्त मंत्रीजी ।
6. माननीय श्री हिम्मत कोठारी, अध्यक्ष, मध्य प्रदेश राज्य वित्त आयोग, बी-1 गोमंतिका परिसर, जवाहर चौक, भोपाल ।
7. श्री के0एम0 आचार्य, सदस्य, राज्य वित्त आयोग, भोपाल।
8. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव कार्यालय, भोपाल।
9. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग, मंत्रालय ।
10. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय।
11. अपर मुख्य सचिव एवं सदस्य सचिव, राज्य योजना आयोग, म0प्र0, विन्ध्याचल भवन, भोपाल।
12. पुलिस महानिदेशक, मध्यप्रदेश, भोपाल।
13. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय ।
14. प्रमुख सचिव, नगरीय प्रशासन एवं पर्यावरण विकास विभाग, मंत्रालय ।
15. सदस्य सचिव, राज्य वित्त आयोग, म0प्र0 भोपाल ।
16. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश ।
17. महालेखाकार,लेखा एवं हकदारी/आडिट-1/2 मध्यप्रदेश,ग्वालियर/भोपाल ।
18. कोषालय अधिकारी, वल्लभ भवन, भोपाल ।
19. संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा म0प्र0 भोपाल।
20. उप नियंत्रक, शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर मध्यप्रदेश के राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ अग्रेषित ।
21. स्टाक फाईल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

(विजय कठाने)
अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

Government of Madhya Pradesh
Department of Finance
(Economic Policy and Research Analysis Unit)

// NOTIFICATION//

dated 04 /10/2017

No. 259/25/2017/EPAU-IV- In pursuance of article 243-I and article 243-Y of the Constitution of India read with section 3 of the Madhya Pradesh Rajya Vitta Ayog Adhiniyam, 1994 (No. 3 of 1994) and in continuation of this department's Notification No.66-25-2017-EPAU-IV dated 20th March, 2017, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, determines the following Terms of Reference for consideration of the Fifth State Finance Commission, namely :-

Terms of Reference

The Commission shall review the financial position of the Panchayats and Muicipalities and make recommendations to the Governor as to -

(a) the principle which should govern -

(i) the distribution between the States and the Panchayats and the Municipalities of the net proceeds of the taxes, duties, tolls and fees leviable by the State, which may be divided between them under part IX and IX-A of the Constitution of India and the allocation between the Panchayats and Municipalities at all levels of their respective shares of such proceeds;

(ii) the determination of the taxes, duties, tolls and fees which may be assigned to, or appropriated by the Panchayats and Municipalities;

(iii) the grants-in-aid to the Panchayats and Municipalities from the Consolidated Fund of the State;

Conti :-

(b) the measures needed to improve the financial position of the Panchayats and Municipalities;

2. in the interests of sound finance of the Panchayats and Municipalities, the Commission while making its recommendations will consider the following other matters:-

(i) the devolution to urban local bodies and Gram Panchayats out of the net proceeds of revenue from tax on land and Stamp Duty paid on the instruments of transactions in land,

(ii) the devolution to urban local bodies and Gram Panchayats out of net proceeds of revenue from tax on sale of petroleum products;

(iii) the devolution to urban local bodies and Gram Panchayats out of net proceeds of revenue from Goods and Services Tax;

(iv) any other matters referred to the State Finance Commission by the Governor.

by order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh

(ANIRUDHE MUKERJEE)
PRINCIPAL SECRETARY
Govt. of Madhya Pradesh,
Department of Finance